आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : वाराणसी,जनपद : जौनपुर,तहसील : मड़ियाहू
वाद संख्या : 02066/2020
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202014360202066
श्री राम बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

जय बजरंग सेवा ट्रस्ट लोरिका, मड़ियाहूँ, जौनपुर जरिये प्रबन्धक श्री राम यादव पुत्र बाल गोविन्द यादव, निवासी ग्राम–लोरिका, मड़ियाहूँ, जौनपुर ने आराजी संख्या 293/0.368, 329ख/0.113, 330/0.230हे0, 350/0.300हे0 521/0.239, 305/0.218 व 518/0.206हे, कुल 6 गाटा 1.674 हे0 भूमि में से 0.956हे0 भूमि स्थित मौजा लोरिका, परगना व तह–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर के बावत धारा 80 रा0सं0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसील में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार मड़ियाहूँ की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 22.08.2021 नियत प्रारूप पर प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार मड़ियाहूँ ने इस आशय की जाँच आख्या प्रेषित किया है कि ग्राम–लोरिका, परगना व तह–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर में स्थित आराजी संख्या 293/0.368, 329ख/0.113, 330/0.230हे0, 350/0.300हे0 521/0.239, 305/0.218 व 518/0.206हे, कुल 6 गाटा 1.674 हे0 भूमि में से 0.956हे0 भूमि पर खतौनी अभिलेख में जय बजरंग सेवा ट्रस्ट लोरिका, मड़ियाहूँ, जौनपुर जरिये प्रबन्धक श्री राम यादव पुत्र बाल गोविन्द यादव निवासी ग्राम–लोरिका, मड़ियाहूँ, जौनपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त आराजियात के 1.674हे0 भूमि में से 0.956हे0 रकबे पर पक्का कमरा, परती व सहन है। मौके पर जोता बोया नहीं जाता है तथा अकृषिक है। गाटा सं0 293/0.368, 329ख/0.113, 330/0.230हे0, 350/0.300हे0 521/0.239, 305/0.218 व 518/0.206हे, कुल 6 गाटा 1.674 हे0 भूमि में से 0.956हे0 भूमि गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रकरण व्यवसायिक होने के कारण प्रार्थी द्वारा सर्किल रेट के मुताबिक 1 प्रतिशत मु0 43020/– रू0 उदघोषणा शुल्क (भारतीय स्टेट बैंक शाखा मड़ियाहूँ में जमाकोष करके चालान की मूल प्रति) तथा धनराशि मु0 43020/– रु0 का न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट फी स्टैम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार मड़ियाहूँ की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 22.08.2021 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा– लोरिका, मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर की गाटा संख्या 293/0.368, 329ख/0.113, 330/0.230हे0, 350/0.300हे0 521/0.239, 305/0.218 व 518/0.206हे, कुल 6 गाटा 1.674 हे0 भूमि में से 0.956हे0 भूमि का मालगुजारी मुताबिक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार मड़ियाहूँ एवं उपनिबन्धक मड़ियाहूँ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

सत्य प्रतिलिपि

10-9-2021

रीडर/पेशकार
उप जिलाधिकारी
मड़ियाहूँ, जौनपुर
10-9-2021

9-2021

(मोतीलाल यादव)
उप जिलाधिकारी
मड़ियाहूँ–जौनपुर